Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

Established by Ministry of Culture Govt. of Madhya Pradesh
Recognised by UGC under section 2(F) & 12(B)

पत्र क्र. 1286 /सॉं.बौ.भा.ज्ञा.अ.वि.वि. /वित्त /2026 सलामतपुर, दिनांक 24/06/2026

कोटेशन सूचना

सर्व संबधित सेवाप्रदाताओं को सूचित किया जाता है कि सॉंची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये निम्नानुसार वित्तीय कार्य/मामलों में कर संबंधी सलाह एवं अंकेक्षण कार्य हेतु कर सलाहकार की सेवाओं की आवश्यकता है :–

स.क्र.	कार्य का विवरण
1.	आयकर टी.डी.एस. त्रैमासिक विवरणी दाखिल करना।
2.	टी.डी.एस. फॉर्म 16 एवं फॉर्म 16 ए उपलब्ध कराना। (16A & 16 B)
3.	विश्वविद्यालय का वार्षिक आयकर विवरणी जमा करना।
4.	तैयार लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण करना। (Audited Balance Sheet & Bank Reconciliation)
5.	वृत्तिकर विवरणी प्रस्तुत करना।
6.	जी.एस.टी. टी.डी.एस. विवरणी जमा करना।
7.	जी.आई.एस. विवरणी जमा करना।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा वृत्तिकर, जीएसटी, आयकर की गणना करने से संबंधित एवं अन्य वैधानिक/विधिक/वित्तीय मामले से संबंधित सलाह देने बावत्।

इच्छुक संस्थाऐं/फर्म उपरोक्त कार्य विवरण अनुसार सेवाओं के संबध में दर/कोटेशन दिनांक 03/07/2026 सांय 05.30 बजे तक **"कुलसचिव, सॉंची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय"** के नाम से बंद लिफाफे में विश्वविद्यालय के परिसर सलामतपुर जिला रायसेन में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है।

शर्ते :–

1. वर्णित कार्य के संबंध में दर सभी करों सहित उपलब्ध कराना होगा।
2. कार्य अनुसार दर मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर उपलब्ध कराना होगा।
3. उक्त कार्य हेतु अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जायेगा।
4. समस्त कार्य विश्वविद्यालय परिसर, सलामतपुर जिला रायसेन में किये जाने होंगे एवं त्रैमासिक में न्यूनतम एक बार अथवा कार्य की आवश्यकतानुसार कर सलाहकार अथवा प्रतिनिधि को उपस्थित होना होगा, जिसका परिवहन एवं अन्य व्यय स्वंय वहन करना होगा।
5. समस्त कार्य विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में किये जाने होंगे।
6. आपके माध्यम से संपादित किसी वित्तीय कार्य में त्रुटि होने पर जिम्मेदारी आपकी होगी।
7. आपके द्वारा किये गये कार्यो को विश्वविद्यालय द्वारा स्वय अपने स्तर पर संतुष्ट होने के उपरांत वांछित कार्य पूर्ण माना जावेगा अन्यथा उक्त कार्य विश्वविद्यालय के संतुष्ट न होने तक पूर्ण नहीं माना जावेगा।
8. कार्य संतुष्टि के आधार पर वांछित कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

कुलसचिव
सॉंची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय